सैम पित्रोदा का नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण भारतीयों के खिलाफ नस्लभेदी टिप्पणी निंदनीय : तिवाड़ी

जयपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैम पित्रोदा द्वारा नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण भारतीयों पर दिए गए नस्लभेदी बयान की कड़ी निंदा की। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के मूल में यही अंतर है कि भाजपा भारत को एक राष्ट्र मानती है जबकि कांग्रेस भारत को अलग-अलग राष्ट्रों का समूह मानती है। भाजपा की स्थापना के बाद मुंबई के शिवाजी पार्क में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने पंच निष्ठाओं के माध्यम से बताया था कि भाजपा एक जन, एक राष्ट्र और एक संस्कृति के ध्येय वाक्य को मानने वाली पार्टी हैं।

राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने गुरूवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित किया।

- 'कांग्रेस पहले जाति के आधार पर, फिर धर्म के आधार पर और अब नस्ल के आधार पर तोड़ना चाहती है भारत को'
- 'भाजपा एक जन, एक राष्ट्र और एक संस्कृति को मानने वाली, जबकि कांग्रेस भारत की संस्कृति का अपमान करने वाली पार्टी'

राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस देश में धर्म, जाति और क्षेत्र की राजनीति करती आ रही है, उसी तरह अब नस्लभेदी राजनीति भी करने लगी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के थिंक टैंक सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और नीति से मेल खाता है। सैम पित्रोदा का मूल नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा था, लेकिन उन्हें ना ही सत्य नारायण शब्द पसंद आया और ना ही गंगाराम। उन्होंने अपने नाम को ही सैम कर दिया। पित्रोदा ने आसाम और पूर्वोत्तर के लोगों को चीनी लोगों जैसा दिखने वाला बताया और दक्षिण भारत के लोगों को दक्षिण अफ्रीकी नस्ल वाला बताया। पित्रोदा का यह बयान नस्लवादी दृष्टिकोण के साथ भारत को बांटने वाला है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि "हिमालयात् समारभ्य यावत् इन्दु सरोवरम्। तं देवनिर्मितं देशं हिन्दुस्थान प्रचक्षते" अर्थात हिमालय के 'हि' शब्द से तथा इन्दुसागर के 'न्दु' शब्द को मिलाकर हिन्दुस्तान नाम रखा गया है। हिमालय से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जो भू-भाग है वह पूरा हिन्दुस्तान है। भारत की ये संस्कृति कांग्रेस को पसंद नहीं आती। कांग्रेस के लोग भारत को दक्षिण, तमिल, उत्तर के आधार पर बांटना चाहते है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार ने दक्षिण को अलग राष्ट्र बनाने तक की सिफारिश की थी। कांग्रेस की सहयोगी पार्टी के एक नेता ने राज्यसभा में भारत को कई राष्ट्रों का समूह बताया, जिसका मैंने विरोध किया था। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पहले जाति के आधार पर, फिर धर्म के आधार पर और अब नस्ल के आधार पर देश को तोड़ना चाहती है। कांग्रेस का हाल ऐसा है कि "उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईने को साफ करता रहा"। कांग्रेस के चेहरे पर जो नकाब था वो अब हट गया है।

राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि सैम पित्रोदा का बयान जिसमें उन्होंने असम के लोगों को चीनी नस्ल का बताया था, यह बयान आसाम के लाचित बरफूकन जैसे वीर सेनापति का अपमान है वहीं दक्षिण भारत के लोगों को दक्षिण अफ्रीकी नस्ल का बताना चोल राजाओं का अपमान है। पित्रोदा का बयान भारत के वेदों, शंकराचार्यों और संस्कृति का अपमान है। कांग्रेस भारत को तोड़ने में लग रही है। कांग्रेस पार्टी भारत के राष्ट्र के एकाग्रता के साथ विश्वासघात कर रही है। इस दौरान मंच पर भाजपा मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ, भाजपा प्रबुद्धजन प्रकोष्ठ के संयोजक राजेंद्र सिंह शेखावत और भाजपा कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक मौजूद रहे।

अरावली संरक्षण पर केन्द्र सरकार को चार राज्यों के साथ बैठक कर रिपोर्ट देने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु मंत्रालय से दो माह में रिपोर्ट मांगी है

- सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश अरावली में अवैध खनन से जुड़े मामले में प्रस्तुत एक रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए दिया है और कहा कि, आदेश सिर्फ अवैध खनन तक ही सीमित रहेगा

जयपुर, (का.सं.)। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सहित दिल्ली, हरियाणा व गुजरात में अरावली पर्वतमाला में हो रहे खनन से जुड़े मामले में केन्द्र के वन व पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय को कहा है कि, इन चारों राज्यों के साथ अरावली संरक्षण सहित अन्य मुद्दों पर बैठक करके दो माह में अपनी रिपोर्ट पेश करें।

जस्टिस बी.आर. गवई व जस्टिस अभय एस ओका की विशेष पीठ ने यह आदेश अरावली में अवैध खनन से जुड़े मामले में सी.ई.सी की रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए दिए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केवल अरावली पर्वतमाला में खनन तक ही सीमित रहेगा। संबंधित राज्यों को खनन के किसी भी नए पट्टे की कार्रवाई के लिए सभी विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद खनन पट्टों को अंतिम रूप देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से ही मंजूरी लेनी होगी।

राज्य सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल (ए.ए.जी.) शिवमंगल शर्मा ने बताया कि, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से पूर्व में चल रही खनन गतिविधियां अप्रभावित रहेंगी और खानों की नीलामी प्रक्रिया में भी कोई रुकावट नहीं आएगी और वे पूर्व की तरह जारी रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश राजस्थान में चल रही बजरी खनन की गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा और ये आदेश केवल अरावली पर्वतमाला तक ही सीमित रहेंगे। इस आदेश से संबंधित क्षेत्रों में चल रही और भविष्य की खनन गतिविधियों के लिए स्पष्टता और स्थिरता आयेगी। जो विकास गतिविधियों के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण पहलुओं को भी संतुलित करते हैं। गौरतलब है कि, राजस्थान के 16 जिलों में अरावली पर्वतमाला से खनन किया जाता है।

भारतीयों के प्रति जो मानसिकता अंग्रेजों की थी, वही कांग्रेस की भी : सी.पी.जोशी

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस के सैम पित्रोदा के बयानों को देश को तोड़ने वाला बताते हुए इसकी कड़ी भर्त्सना की है। सीपी जोशी ने कहा कि सैम पित्रोदा के बयान से यह साफ हो गया है कि कांग्रेस भारतीयों को जाति, धर्म और रंग के आधार पर बांटने में लगी है। भारतीयों के प्रति जो मानसिकता अंग्रेजों की थी, वहीं कांग्रेस की भी है। यह बयान भी अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर रंगभेद, नस्लभेद की मानसिकता के आधार पर किए गए अत्याचार को प्रदर्शित करता है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि भारत विश्वगुरू रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मजबूत और कुशल नेतृत्व में देश पुन: उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में भारतीयों की तुलना दूसरे देशों से करके भारत को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में भारत की ख्याति बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस अपने बयानों से देशवासियों को अपमानित कर रही है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने देश में फूट डालो, शासन करो की नीति को अपनाते हुए देश की एकता और अखंडता को ठेस पहुंचाने का काम किया है। विभाजन कारी नीति से देश कमजोर हुआ है। अब कांग्रेस के पास सत्ता में आने का कोई रास्ता नहीं बचा तो फिर से इसी नीति पर उतर आए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि इस अपराध के लिए कांग्रेस को देश से क्षमा मांगनी चाहिए।

राज्य का सतत और दीर्घकालीन विकास बने प्राथमिकता : मिश्र

- राज्यपाल सलाहकार मण्डल की बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास के आए महत्वपूर्ण सुझाव

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि राज्य के संतुलित और सतत विकास के लिए सभी मिलकर कार्य करें। उन्होंने सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आदिवासी कल्याण, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, उद्योग आदि क्षेत्रों में सुनियोजित योजनाओं के जरिए दीर्घकालीन विकास को ध्यान में रखते हुए कार्य करने का आव्हान किया। उन्होंने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के तहत राज्य के विकास से जुड़े प्रभावी कार्य हाथ में लेकर उनके क्रियान्वयन की भी आवश्यकता जताई।

राज्यपाल गुरुवार को राजभवन में राज्यपाल सलाहकार मण्डल की बैठक में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्यपाल सलाहकार मंडल के अंतर्गत विषय विशेषज्ञों के सुझाव आमंत्रित कर उनके आधार पर प्रदेश के सतत, स्थायी और चहुंमुखी विकास के लिए कार्य किए जाने की पहल की गई है। विभिन्न क्षेत्रों में पूर्व की बैठकों में आए सुझावों के विश्वविद्यालयी शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में लागू करने से सकारात्मक परिणाम भी आए हैं।

उन्होंने बैठक में राजस्थान में उपलब्ध संसाधनों का समुचित दोहन कर प्रदेश के युगानुकुल विकास के लिए कार्य किए जाने, उद्यिमता विकास के लिए प्रयास बढ़ाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि राजभवन स्तर पर राज्यपाल राहत कोष के पुनर्गठन, जनजातीय क्षेत्रों के प्रभावी विकास, आदिवासी क्षेत्रों के टिकाऊ विकास से जुड़े मुद्दों की मॉनिटरिंग के लिए राजभवन स्तर पर जनजातीय एकक की स्थापना की गई है। राजभवन में देश का पहला संविधान उद्यान निर्मित किया गया है।

राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों ने बैठक में वनस्थली विद्यापीठ की तर्ज पर आदिवासी क्षेत्र में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने का भी विशेष रूप से सुझाव दिया। स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत पब्लिक हेल्थ कैडर बनाने और शिशु और मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए व्यावहारिक प्रयास किए जाने, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई के इस्तेमाल और आयुष्मान भारत के समेकित क्रियान्वयन पर जोर दिया गया।

वेंकटेश्वर मंदिर की संपत्ति पर विवाद

जयपुर। सिटी पैलेस के नजदीक स्थित वेंकटेश्वर मंदिर की संपत्ति को लेकर विवाद सामने आया है। मंदिर के महंत ने सिटी पैलेस स्टाफ के ऊपर मंदिर की जमीन पर कब्जा करने और परिवार को बंधकर बनाकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। हालांकि सिटी पैलेस ने महंत के दावे को गलत बताया है। पूरे विवाद का एक वीडियो भी सामने आया है।

मंदिर के महंत वेणु गोपाल ने आरोप लगाया कि पहले सिटी पैलेस के गार्ड्स ने उनके परिवार को बंधक बना लिया। वहां माणक चौक थाने के पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। महंत ने कहा कि संपत्ति पर विवाद है और मामला कोर्ट में है। सिटी पैलेस के प्रशासक प्रमोद यादव का कहना है कि यह हमारी संपत्ति थी, कोर्ट ने इसे लेकर हमारे पक्ष में फैसला दिया है। महंत वेणु गोपाल ने बताया कि हम सालों से अपने परिवार के साथ इस मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर में राजपरिवार का कोई दखल नहीं है। इस मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना भी रिकॉर्ड हुई है। मंदिर में बड़ी संख्या में लोग घुसते हुए दिख रहे हैं। ये लोग यहां कुछ तोड़फोड़ करते हुए बैरिकेडिंग भी करते हैं। मंदिर के बाहर के हिस्से पर जबरन बैरिकेडिंग भी की गई है। मंदिर परिवार ने पुलिस कंट्रोल रूम को कई बार इसकी सूचना दी, लेकिन पुलिस पहले से ही मौके पर मौजूद थी।

सिनोदिया हत्याकांड के अभियुक्त को पैरोल पर रिहा करने के आदेश

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने किशनगढ़ के पूर्व विधायक नाथूराम सिनोदिया के बेटे भंवर सिनोदिया की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे अभियुक्त बलभा राम को चौथे नियमित पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पैरोल अवधि पूरी होने के बाद जेल प्रशासन के समक्ष समर्पण करे। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश बलभा राम की पैरोल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने पैरोल कमेटी के आदेश को रद्द करते हुए माना की याचिकाकर्ता अभियुक्त को जेल में संतोषजनक व्यवहार था।

याचिका में अधिवक्ता गोविंद प्रसाद रावत ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को 11 अप्रैल 2014 को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

याचिकाकर्ता को अब तक नियमानुसार तीन बार नियमित पैरोल का लाभ दिया जा चुका है। पैरोल अवधि पूरी होने के बाद उसने समय पर जेल प्रशासन के समक्ष समर्पण किया है। इसके अलावा सामाजिक अधिकारिता विभाग की रिपोर्ट भी याचिकाकर्ता के पक्ष में आई है। इसके बावजूद पैरोल कमेटी ने उसे चौथे पैरोल का लाभ देने से इनकार कर दिया। ऐसे में उसे चौथे नियमित पैरोल के तहत चालीस दिन के लिए रिहा किया जाए। याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता के खिलापफ 16 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा अजमेर पुलिस अधीक्षक ने भी उसके खिलाफ रिपोर्ट दी है। इसलिए पैरोल कमेटी ने उसके पैरोल आवेदन को निरस्त किया है। ऐसे में उसे पैरोल का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता अभियुक्त को चौथे पैरोल के तहत चौदह दिन के लिए रिहा करने के आदेश दिए हैं।

महाराव शेखाजी के निर्वाण दिवस पर समारोह आज

जयपुर । महाराव शेखा संस्थान के सचिव सम्पत सिंह धमोरा ने बताया कि शेखावाटी के संस्थापक, इतिहास पुरूष, नारी सम्मान के रक्षार्थ प्राणोत्सर्ग कर स्वर्गारोहण करने वाले, धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक महाराव शेखाजी का 536वाँ निर्वाण दिवस समारोह अक्षय तृतीया 10 मई को प्रात: 8 से 9.15 बजे तक श्री भवानी निकेतन महाविद्यालय , पंजवन रॉय हॉल, सीकर रोड, जयपुर पर मनाया जायेगा।

समारोह में जयपुर शहर के कई नागरिक शेखावाटी के संस्थापक महाराव शेखाजी को श्रद्धासुमन अर्पित करने हेतु उपस्थित होंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि शेखावाटी के भूभाग पर घाटवा के युद्ध में महाराव शेखाजी ने अपने दो सपुतों दुर्गाजी एवं पूरणजी के साथ नारी के सम्मान को कायम रखने के लिए अपने निकटत्तम संबंधियों से युद्ध कर बलिदान दिया तथा शेखाजी विश्व के इतिहास में धार्मिक सहिष्णुता के अनुकरणीय उदाहरण है। जिस वंश परम्परा को शेखावाटी के सपूतों ने न केवल आगे बढ़ाया बल्कि आज भी शेखावाटी को गर्व है कि भारतीय सेना में शेखावाटी के नौजवानों का जो प्रतिनिधित्व है, उसको देश भुला नहीं सकता। युद्ध कौशल के धनी देश और धर्म के लिए मर मिटने वाले भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परम वीर चक्र विजेता हवलदार पीरू सिंह शेखावत तथा महावीर चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र और सेना मैडल प्राप्त करने वाले योद्धाओं की बहुत लम्बी सूची शेखावाटी को गौरवान्वित करती है।

भारतीय सेना में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कमिश्नड ऑफीसर के रूप में बढ़ाने के लिए महाराव शेखाजी की निर्वाण स्थली रलावता जिला सीकर पर महाराव शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण होने की ओर है, जहाँ पर भारतीय सेना में ऑफीसर रैंक में प्रवेश के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है, जो प्रदेश के लिए सौभाग्य का विषय है।

नाबालिग से ज्यादती करने वाले युवक को सजा

जयपुर, (का.सं.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने 15 साल की बीमार पीडिता के साथ ज्यादती करने वाले अभियुक्त कंपाउंडर दिनेश कुमार महावर को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने तीस वर्षीय इस अभियुक्त पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि अभियुक्त ने इंजेक्शन लगाने के दौरान उसके साथ ज्यादती की है। ऐसे में अभियुक्त का कृत्य दुष्कर्म की श्रेणी में ही माना जाएगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीडिता की मां ने 26 दिसंबर, 2019 को शिप्रा पथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी बेटी की कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही है। दोपहर के समय वह अपनी बडी बेटी को पास के अस्पताल में कंपाउंडर दिनेश कुमार से इंजेक्शन लगाने का कहकर दूसरे मकान पर गई थी। अभियुक्त ने इंजेक्शन लगाने के दौरान कमरे में मौजूद उसके बेटे को बाहर भेज दिया और पीडिता के साथ ज्यादती की। परिजनों के देखने पर पीडिता लहूलुहान हालत में कराह रही थी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। वहीं ट्रायल के दौरान अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है और उसने पीडिता के साथ किसी तरह का अपराध नहीं किया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

डिफेक्टिव मशीन बेचने वाली कंपनी पर हर्जाना

जयपुर, (का.सं.)। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-प्रथम ने कान में सुनने के लिए लगाई हियरिंग एड मशीन डिफेक्टिव बेचने को सेवादोष करार देते हुए विपक्षी कंपनी एम्लीफोन इंडिया लि. पर 5 हजार रुपए हर्जाना लगाया है। वहीं मशीन की कीमत 47 हजार रुपए की सब-स्टेण्टर्ड कीमत 35,250 रुपए मानते हुए उसे भी 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने के लिए कहा है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. सूबेसिंह यादव व सदस्य नीलम शर्मा ने यह आदेश एमके शर्मा के परिवाद पर दिया।

परिवाद में कहा गया कि परिवादी ने कान में लगाने वाली हियरिंग एड मशीन 31 दिसम्बर, 2019 को विपक्षी कंपनी से डिस्काउंट के बाद 47 हजार रुपए में खरीदी थी। यह मशीन डिफेक्टिव थी और कान में उसे लगाने के बाद भी साफ सुनाई नहीं देता था। कंपनी में शिकायत करने पर उसे सुधारने के कई प्रयास किए, लेकिन 22 चक्कर लगाने के बाद भी वह सुधरी नहीं।

इसे परिवादी ने उपभोक्ता अदालत में चुनौती देते हुए मशीन बदलवाने व उसे हुई परेशानी के लिए हर्जा-खर्चा दिलवाने का आग्रह किया। जवाब में कंपनी ने कहा कि उनकी मशीन में कोई भी डिफेक्ट नहीं था।

जयपुर बम ब्लास्ट मामले में 3 गवाहों की दुबारा मुख्य परीक्षा की मंजूरी दी

विशेष अदालत ने राज्य सरकार को 5 हजार रुपए के हर्जाने की शर्त पर यह मंजूरी दी है

जयपुर, (का.सं.)। जयपुर बम धमाकों की विशेष अदालत ने वर्ष 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के दौरान जिंदा मिले बम के मामले में राज्य सरकार को तीन गवाहों की मुख्य परीक्षा की मंजूरी 5 हजार रुपए हर्जाने की शर्त पर दी है। कोर्ट ने यह आदेश राज्य सरकार के प्रार्थना पत्रों पर दिए। कोर्ट ने जिन गवाहों की मुख्य परीक्षा की मंजूरी दी है उनमें दिल्ली की स्पेशल सेल के तत्कालीन एसीपी संजीव कुमार यादव, मौजूदा एसीपी राहुल कुमार सिंह व इंस्पेक्टर रविन्द्र सिंह त्यागी शामिल हैं।

राज्य सरकार ने प्रार्थना पत्रों में कहा कि ये गवाह इस मामले से जुड़े पूरक आरोप पत्र के साक्षी हैं और उनसे संबंधित दस्तावेजों को प्रदर्श करवाना है। ऐसे में उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए बुलवाए जाने की मंजूरी दी जाए। इसके विरोध में आरोपियों के अधिवक्ता मिनहाजुल हक ने कहा कि राज्य सरकार ने इस केस में दस साल बाद चालान पेश किया है। वहीं आरोपियों के न्यायिक हिरासत में होते हुए भी इतने सालों में भी ना तो उनसे पूछताछ की गई और ना ही गिरफ्तार किया गया था। राज्य सरकार ने जिन गवाहों से मुख्य परीक्षा कर ली है, अब दुबारा इसकी जरूरत नहीं है और इससे केस की ट्रायल में देरी होगी। इसलिए राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर राज्य सरकार को 5 हजार रुपए हर्जाने की शर्त पर तीनों गवाहों की मुख्य परीक्षा करवाने की मंजूरी दी है।

बेकरी व्यवसाय फर्म का निरीक्षण कर नमूने लिए

जयपुर । खाद्य सुरक्षा आयुक्त व्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के निर्देशन में गुरुवार को अधिकारियों के दल ने क्षेत्र में बेकरी खाद्य व्यवसाय फर्म पर निरीक्षण एवं खाद्य नमूनीकरण की कार्रवाई की गई।

सीएमएचओ जयपुर द्वितीय हंसराज भदालिया ने बताया कि गुरुवार को साईनाथ बेकर्स गोनेर रोड जयपुर से बर्गर और टोस्ट का नमूना लिया गया और न्यू जनता बेकरी, माली की कोठी आगरा रोड से टोस्ट, सोया तेल और मैदा का नमूना लिया। दोनों फर्म में बेतहाशा गंदगी पाई जाने और अनेक मानकों की अवहेलना पाए जाने पर इंप्रूवमेंट नोटिस दिए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। लिए गए नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाया गया है। जांच रिपोर्ट आने के पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त कमिश्नर पंकज ओझा ने बताया कि झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित राधे बेकर्स की फैक्ट्री पर छापा मारकर इसे सीज कियया। यहां बड़ी मात्रा में बेकरी में उपयोग होने वाले फूड कलर के डब्बे मिले, जिन पर मैन्युफेक्चरिंग और एक्सपायरी डेट नहीं थी। फैक्ट्री में बने केक में मक्खियां और कीडे मिले। टीम ने 15 किलोग्राम केक को नष्ट करवाया। पेस्ट्री और पेटीज बनाने में उपयोग आने वाली लोहे की ट्रे भी काफी गंदी थी, ऐसा लगा मानों इन्हें कई सालों से साफ नहीं किया। फैक्ट्री में जगह-जगह चूहे घूमते दिखाई दिए।

15 लाख की लूट का षड्यंत्र रचने वाले 3 गिरफ्तार

जयपुर । अशोक नगर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम जयपुर दक्षिण (डीएसटी) कार्रवाई करते हुए 24 अप्रैल को थाना इलाके के युधिष्ठिर मार्ग स्थित ट्रेडिंग कार्यालय में घुसकर दो बदमाशों द्वारा हथियारों के दम पर पन्द्रह लाख रुपए लूट के मामले में खुलासा करते हुए लूट की वारदात करने वाले तीन षडयंत्रकारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जानकारी में सामने आया है कि वारदात के समय मौजूद महिला कर्मचारी ने अपने दो साथियो के साथ लूट की वारदात का षड्यंत्र रचा था। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से लूट करने वाले आरोपी,हथियार सहित लूट की राशि के संबंध में पूछताछ करने में जुटी है। पुलिस उपायुक्त जयपुर (दक्षिण) दिगंत आनंद ने बताया कि 24 अप्रैल को थाना इलाके के युधिष्ठिर मार्ग स्थित ट्रेडिंग कार्यालय में घुसकर दो बदमाशों द्वारा हथियारों के दम पर पन्द्रह लाख रुपए लूट के मामले में अशोक नगर थाना पुलिस और डीएसटी दक्षिण ने कार्रवाई करते हुए साथ लूट की वारदात का षड्यंत्र रचने वाली महिला कर्मचारी शिप्रा गुप्ता (36) निवासी मुरलीपुरा जयपुर सहित उसके साथी मुकेश गुप्ता (25) निवासी मुरलीपुरा जयपुर और मनजीत सिंह राठौड (25) निवासी डीडवाना जिला जिला कुचामन-डीडवाना हाल हरमाड़ा जयपुर को गिरफ्तार किया है। वहीं लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी जेबीआर ग्रुप के भरत सिंह और उसके साथी की तलाश की जा रही है।

अवैध संबंधों में बाधा बने पति को मौत के घाट उतारा

पत्नी और उसके प्रेमी ने तकिए से मुंह दबाकर पति की जान ली

जयपुर । करधनी इलाके में सीवर टैंक में मिले युवक के शव के मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को अरेस्ट किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि महिला ने अवैध संबंधों में बाधा बनने पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर रात को सोते समय तकिए से मुंह दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर शव को सीवर टैंक में डाल दिया।

पुलिस ने बताया कि मूलत: पीलीभीत यूपी निवासी जान मोहम्मद का शव घर के नजदीक सीवरेज टैंक में शव मिला था। मृतक करीब एक सप्ताह से लापता बताया जा रहा था। जान मोहम्मद को उसकी पत्नी और महिला के प्रेमी ने मिलकर रात को सोते समय तकिए से गला घोट कर मार दिया और फिर उसके शव को सीवरेज टैंक में डाल दिया। बुधवार को बदबू आने पर स्थानीय लोगों ने जानकारी दी तो उसमें जान मोहम्मद का शव मिला था। महिला का प्रेमी मृतक के गांव का ही रहने वाला है इस कारण वह लम्बे समय से यहीं पर रहा था। महिला और उसके प्रेमी के बीच करीब तीन साल से अवैध संबंध थे। जब इसकी जानकारी जान मोहम्मद को लगी तो उसने इसका विरोध किया और महिला के प्रेमी को घर से निकाल दिया। इस पर महिला और उसके प्रेमी ने मिलकर उसे जान से मारने की योजना बनाई। जान मोहम्मद के सोते ही दोनों ने मिलकर तकिए से मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी।

लॉरेंस विश्नोई गैंग का एक गुर्गा जयपुर से पकड़ा

जयपुर। राजस्थान सहित देश के सात राज्यों में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस विश्नोई के सिंडिकेट पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक साथ कार्रवाई कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें जयपुर से भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से 7 पिस्टल, 31 कारतूस और 11 मोबाइल फोन जब्त किए हैं।

बुधवार सुबह से शाम तक दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में रेड की गई थी। जांच में सामने आया कि गिरफ्तार सभी आरोपी एक-दूसरे के संपर्क में थे।

2200 करोड़ रु. की लागत से जयपुर में 2 नए एलिवेटेड रोड, 4 फ्लाई ओवर और 3 ओवर ब्रिज बनाने की तैयारी!

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजधानी जयपुर में 2200 करोड़ की लागत से 2 नए एलिवेटेड रोड, चार फ्लाई ओवर, तीन रेलवे ओवर ब्रिज बनाने के साथ ही सड़कों को चौड़ा करने और नए गार्डन विकसित करने का खाका तैयार कर लिया है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने शहर में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के लिए यह प्लान तैयार किया है। इन तमाम प्रोजेक्ट्स की अनुमानित लागत 2200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ऐसे में इन प्रोजेक्ट्स पर जेडीए अधिकारियों द्वारा लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के साथ-साथ स्थानीय मंत्री-विधायकों से चर्चा के बाद शुरू किया जाएगा।दरअसल, फिलहाल प्रदेश में लोकसभा चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू है। इसकी वजह से सरकार इस वक्त ना तो नया प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकती है। ना ही किसी नए प्रोजेक्ट की घोषणा कर सकती है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद सरकार नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत कर सकती है। माना जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी इसी साल पूर्ण बजट भी पेश कर सकती है। ऐसे में जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकतर प्रोजेक्ट की घोषणा बजट में संभव है। सूत्रों की मानें तो करीब 1100 करोड़ रुपए की लागत से अंबेडकर सर्किल से ओ.टी.एस. चौराहा होते हुए जवाहर सर्किल तक एलिवेटेड रोड प्रस्तावित है। इस 9 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड के निर्माण से इस रूट पर लगने वाले जाम और ट्रैफिक लाइट्स से आम जनता को राहत मिल सकती है।